राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 20(1) सा.प्र./ग्रुप–4/2004 जयपुर दिनांक 16/7/14

मुख्य अभियन्ता (भवन),
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– वर्ष 2014–15 हेतु सामान्य प्रशासनिक भवन (गैर आवासीय) के वार्षिक रखाव, मरम्मत आदि हेतु राशि का आवंटन।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक एफ–56 (जनरल–115) सेक्शन–II/2014–15/डी/139 दिनांक 19.06.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार लेख है कि वर्ष 2014–15 हेतु सामान्य प्रशासनिक भवनों (गैर आवासीय) हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को विभिन्न सिविल एवं विद्युत संबंधी मरम्मत/संधारण कार्यों के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग मद में उपलब्ध 147.72 लाख राशि का आवंटन भवनवार प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार उल्लिखित शर्तों के अधीन किया जाता है :–

क.सं.	विश्राम भवन	राशि (लाखों में)
1.	बीकानेर हाउस नई दिल्ली	6
2.	बीकानेर हाउस नई दिल्ली के परिसर में स्थित आवास	3
3.	राजस्थान हाउस नई दिल्ली	7
4.	राजस्थान हाउस नई दिल्ली के परिसर में स्थित आवास	2
5.	जोधपुर हाउस नई दिल्ली	7
6.	जोधपुर हाउस नई दिल्ली के परिसर मे स्थित आवास	2
7.	अजमेर	3.5
8.	अलवर	3.5
9.	बांसवाड़ा	2
10.	बारां	2
11.	बाड़मेर	2
12.	भरतपुर	3
13.	भीलवाड़ा	3
14.	बीकानेर	2
15.	बून्दी	3
16.	चित्तौडगढ़	2
17.	चूरू	2
18.	डूंगरपुर	1.72
19.	दौसा	2.5
20.	धौलपुर	3
21.	श्रीगंगानगर	2
22.	हनुमानगढ़	2
23.	जयपुर	7
24.	जैसलमेर	3
25.	जालोर	2
26.	झालावाड़	3
27.	झुंझुनूं	2
28	जोधपुर	4.5
29.	कोटा	4
30.	नागौर	2
31.	पाली	2
32.	सवाई माधोपुर	3
33.	सिरोही	2
34.	सीकर	2
35.	टोंक	2
36.	उदयपुर	20
37.	राजसंमद	2
38.	करौली	2
39.	ओल्ड ट्रांजिट होस्टल , जयपुर	4
40.	न्यू ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर	4
41.	सामुदायिक केन्द्र गांधीनगर	3
42.	माउण्ट आबू	4
43.	मिनी सचिवालय जयपुर	4
	कुल योग	147.72

(1) विश्राम भवनों के लिये नोडल अधिकारी संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक है। अतः विश्राम भवनों हेतु आवंटित राशि के कार्यो लिये संबंधित विश्राम भवन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार उनकी सहमति से राशि का व्यय उसी विश्राम भवन पर किया जावें।

(2) विश्राम भवनों में किये गये गत वर्ष कार्यो का व्यय का विवरण एवं इस वर्ष के व्यय के विवरण भवनवार एवं कार्यवार को संबंधित विश्राम भवन के प्रबन्धक एवं इस विभाग को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जावें।

(3) आवासीय भवनों के मरम्मत/संधारण का कार्य इस विभाग द्वारा जारी नीति एवं निर्देशों के अनुसार किया जावें।

(4) व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार किया जावे तथा उक्त कार्य के लिये किये जाने वाले व्यय हेतु समस्त नियम, निर्देश एवं सुस्थापित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

sd
(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख आवासीय आयुक्त–I, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाऊस, पंडारा रोड़, नई दिल्ली।
2. संभागीय आयुक्त, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त जिला कलक्टर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. **समस्त संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि गत वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित भवनवार बजट का कार्यवार व्यय विवरण भी अविलम्ब प्रस्तुत किया जावें।**
6. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
7. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस नई दिल्ली।
8. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधी नगर, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव (क)